न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 70/2022 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया	बनाम	1. रूपा पुत्र मांगु भील निवासी बांका तहसील बिजौलिया
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश सुराणा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बांका की आ.न. 1167/309 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम बांका की आ.नं. 1167/309 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बांका की आराजी संख्या 1167/309 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन विपक्षी को दिनांक 04.06.1990 को विधिवत तौर आवंटन किया गया। आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर लगातार वर्षों से गेंहू चावल मक्की तिल व अन्य फसलों को काश्त कर रहा हैं। विपक्षी ने आवंटन के बाद आवंटन नियमों की पूरी पालना कर भूमि को विकसित किया एवं निरंतर काश्त की है। विपक्षी को आवंटित भूमि को 32 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हैं, जो मियाद बाहर हैं। जबकि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटन निरस्त नही किया जा सकता हैं। विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के क्रम में प्रश्नगत आवंटित आराजी संख्या 1167/309 पर संवत् 2056 में चावल व गेंहू, 2057 में गेंहू, 2058 में गेंहू, 2059 में चरी, 2062 में तिल, 2063 में मक्की, 2068 में गेंहू, 2069 में गेंहू, 2070 में गेंहू व चावल, 2071 में चावल व गेंहू की फसल काश्त किया जाने की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम बांका के आ.न. 1167/309 रकबा 0.4856 हैट. भूमि मौके पर ''आवंटी मौके पर काबिज नहीं हैं''। जबकि विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के क्रम में प्रश्नगत आवंटित आराजी की संवत् 2056 में चावल व गेंहू, 2057 में गेंहू, 2058 में गेंहू, 2059 में चरी, 2062 में तिल, 2063 में मक्की, 2068 में गेंहू, 2069 में गेंहू, 2070 में गेंहू व चावल, 2071 में चावल व गेंहू की फसल काश्त किये जाने की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रकार आवंटी एवं विपक्षी द्वारा प्रश्नगत आराजियात पर फसलों की काश्त की जाना खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत इन खसरा गिरदावरियों के खण्डन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई पुष्ट साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षी को आंवटित भूमि में विपक्षी द्वारा कोई मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड की उल्लघंना की हो, इस संबंध में

न्यायालय अति. जिला ... भीलवाड़ा (राज.)

आते. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी ने कोई दस्तावेजात व साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त नही होने का जो आक्षेप आरोपित किया गया हैं, वह विपक्षी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों की प्रमाणित प्रतियों से निराधार सिद्ध होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम बांका के आराजी नं. 1167/309 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि आवंटन को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा